



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 13, 2018/ज्येष्ठ 23, 1940

No. 208]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 13, 2018/JYAISTHA 23, 1940

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2018

सं. 5/1/2017-एनएस — केंद्रीय सरकार, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) की धारा 2 खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि

(i) 8.40% (आठ दशमलव चार शून्य प्रतिशत) भारत सरकार (राष्ट्रीय अल्प बचत निधि) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति, 2017 लोक ऋण कार्यालय द्वारा रखे गए सहायक सामान्य बही खाते में धारक के नाम से रखे जाने वाले 'स्टॉक' के रूप में निर्गत की जाएंगी; और

(ii) ये प्रतिभूतियां हस्तांतरणीय नहीं होंगी।

अरविंद श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2018

No. 5/1/2017-NS— In exercise of the powers conferred by clause (f) of Section 2 of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006), the Central Government hereby specifies that

- (i) 8.40% (Eight point four percent) Government of India (National Small Savings Fund) (Non-transferable) Special Securities, 2017 shall be issued in the form of 'Stock' to be held at the credit of the holder in the Subsidiary General Ledger Account maintained by the Public Debt Office; and
- (ii) These securities shall not be transferable.

ARVIND SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2018

8.40% भारत सरकार (राष्ट्रीय अल्प बचत निधि)

(अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति,

2017का निर्गम

सं. 5/1/2017-एनएस—भारत सरकार एतद् द्वारा, 1 अप्रैल, 2017 से अगली सूचना तक 8.40 प्रतिशत भारत सरकार (राष्ट्रीय अल्प बचत निधि) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति, 2017 (इसमें इसके पश्चात इसे "विशेष प्रतिभूति" कहा गया है) का निर्गम अधिसूचित करती है।

2. उद्देश्य:

भारतीय लोक लेखे में "राष्ट्रीय अल्प बचत निधि" (एनएसएसएफ) नामक नई निधि के सृजन के परिणामस्वरूप केंद्रीय सरकार, समय-समय पर राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से सरकार द्वारा प्राप्त राशि के लिए इसके अंतर्गत अधिसूचित विशेष प्रतिभूतियां जारी करेगी।

3. विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान के लिए पात्रता:

सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट एनएसएसएफ द्वारा निवेश की राशि के लिए विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र होगा।

4. अभिदान:

1,00,000 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य) की राशि और इसके बाद 1,00,000 रुपये के गुणकों में विशेष प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी।

5. प्रतिभूतियों का स्वरूप:

विशेष प्रतिभूतियां, लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में रखे गए सहायक सामान्य लेखा खाते में धारक के नाम से रखे जाने वाले 'स्टॉक' के रूप में जारी की जाएंगी।

6. निर्गम का मूल्य, तारीख और स्थान:

- (i) विशेष प्रतिभूतियां सममूल्य पर जारी की जाएंगी।
- (ii) विशेष प्रतिभूतियां जारी करने की तारीख भारत सरकार के सहायक सामान्य बही खाते में विशेष प्रतिभूतियों के जमा होने की तारीख होगी, परंतु यह कि एनएसएसएफ से यदि पहले ही राशि जारी की गई है और इस अधिसूचना को पहले सरकार के पास जमा की गई है, विशेष प्रतिभूतियां जारी करने की तारीख भारत सरकार के खाते में ऐसी जमा की तारीख होगी।
- (iii) विशेष प्रतिभूतियां, लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में जारी की जाएंगी।

7. अवधि:

विशेष प्रतिभूतियों की अवधि निर्गम की तारीख से 10 वर्ष होगी।

8. ब्याज:

- (i) विशेष प्रतिभूतियों पर 8.40 % (आठ दशमलव चार शून्य प्रतिशत) प्रति वर्ष ब्याज लगेगा। जो विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम की तारीख से शुरू करके अर्ध-वार्षिक आधार पर भुगतान योग्य होगा। प्रतिभूतियों पर ब्याज लोक ऋण कार्यालय (अर्थात् निर्गम कार्यालय), भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में देय होगा।
- (ii) ब्याज लगभग सौ रुपए के पूर्णांकन के बाद संदेय किया होगा।

9. चुकौती:

विशेष प्रतिभूतियों की चुकौती निर्गम की तारीख के अगले वर्ष से प्रारंभ करके दस बराबर वार्षिक किश्तों में भुगतान योग्य होगी।

10. हस्तांतरणीयता और संपरिवर्तन

विशेष प्रतिभूतियां अंतरणीय नहीं होंगी और इनके किसी अन्य रूप में संपरिवर्तन की अनुमति नहीं होगी, जब तक सरकार द्वारा विशेष रूप से विनिर्दिष्ट न किया जाए।

11. सांविधिक उपबंध:

ऐसे किसी मामले के संबंध में, जिसका इस अधिसूचना में उल्लेख नहीं किया गया है, विशेष प्रतिभूतियां सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) द्वारा अधिशासित होंगी।

अरविंद श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2018

**Issue of 8.40% Government of India
(National Small Savings Fund) (Non-transferable)
Special Securities, 2017**

No. 5/1/2017-NS.—The Government of India, hereby notifies the issue of **8.40 per cent** Government of India (National Small Savings Fund) (Non-transferable) Special Securities, 2017 (hereinafter called "special securities") from 1st April 2017 until further notice.

2. Objective:

Consequent upon the creation of a new fund in the Public Account of India called the "National Small Savings Fund" (NSSF), the Central Government shall issue the Special Securities notified here under against the amounts received by the Government from NSSF from time to time.

3. Eligibility for subscribing to special securities:

The Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, shall be eligible to subscribe to special securities for the amounts invested by NSSF as specified by the Central Government from time to time.

4. Subscription:

Special securities will be issued for an amount of Rs.1, 00, 000 (face value) and in multiples of Rs.1,00,000 thereafter.

5. Form of securities:

The special securities will be issued in the form of 'Stock' to be held at the credit of the holder in the Subsidiary General Ledger Account maintained with Public Debt Office, Reserve Bank of India, Nagpur.

6. Price, Date and Place of Issue:

- (i) The special securities will be issued at par.
- (ii) The date of issue of special securities shall be the date on which the special securities are credited to the Subsidiary General Ledger Account of Government of India provided that in the case of amounts already released from NSSF and credited to the Government prior to this Notification, the date of issue of special securities shall be date of such credit to the Government of India Account.
- (iii) The Special Securities will be issued at Public Debt Office, Reserve Bank of India, Nagpur.

7. Tenure:

The tenure of the special securities will be **10 years** from the date of issue.

8. Interest:

- (i) The special securities will bear interest at the rate of **8.40** (Eight point four per cent.) per annum which will be payable at half yearly basis reckoned from the date of issue of the special securities. Interest on the securities will be payable at the Public Debt Office (i.e. the office of Issue), Reserve Bank of India, Nagpur.
- (ii) Interest will be paid after rounding off to be nearest hundred rupees.

9. Repayment:

The special securities shall be repayable in ten equal annual instalments starting from the next year from the date of issue.

10. Transferability and conversion:

The Special Securities shall not be transferable and conversion of the securities to any other form shall not be permitted, until and unless otherwise specified by the Government.

11. Statutory Provisions:

With respect to any such matter which has not been provided under this notification, the special securities shall be governed by the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006).

ARVIND SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2018

सं. 5/1/2017-एनएस—केंद्रीय सरकार, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) की धारा 2 खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि

- (i) 8.40% (आठ दशमलव चार शून्य प्रतिशत) भारत सरकार (राष्ट्रीय अल्प बचत निधि) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति, 2028 लोक ऋण कार्यालय द्वारा रखे गए सहायक सामान्य बही खाते में धारक के नाम से रखे जाने वाले 'स्टॉक' के रूप में जारी की जाएंगी; और
- (ii) ये प्रतिभूतियां हस्तांतरणीय नहीं होंगी।

अरविंद श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATIONNew Delhi, the 13th June, 2018

No. 5/1/2017-NS.—In exercise of the powers conferred by clause (f) of Section 2 of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006), the Central Government hereby specifies that

- (i) **8.40% (Eight point four per cent)** Government of India (National Small Savings Fund) (Non-transferable) Special Securities, 2028 shall be issued in the form of 'Stock' to be held at the credit of the holder in the Subsidiary General Ledger Account maintained by the Public Debt Office; and
- (ii) These securities shall not be transferable.

ARVIND SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2018

**8.40% भारत सरकार (राष्ट्रीय अल्प बचत निधि)
(अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति,
2028 का निर्गम**

सं. 5/1/2017-एनएस.—भारत सरकार एतद् द्वारा, 8.40 प्रतिशत भारत सरकार (राष्ट्रीय अल्प बचत निधि) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति, 2028 (इसमें इसके पश्चात इसे "विशेष प्रतिभूति" कहा गया है) का निर्गम अधिसूचित करती है।

2. उद्देश्य:

केंद्रीय सरकार 1.4.1999 से निवल अल्प बचत संग्रहण के शेयर के लिए जारी विशेष भारत सरकार और राज्य सरकार प्रतिभूतियों के मोचन के कारण राष्ट्रीय अल्प बचत निधि में प्राप्त राशि के लिए इसके अंतर्गत अधिसूचित विशेष प्रतिभूतियां जारी करेगी।

3. विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान के लिए पात्रता:

एनएसएसएफ की ओर से सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र होगा।

4. अभिदान:

33,661.00 करोड़ रुपये (तैतीस हजार छह सौ इकसठ करोड़ रुपये) की राशि के लिए विशेष प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी।

5. प्रतिभूतियों का स्वरूप:

विशेष प्रतिभूतियां, लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में रखे गए सहायक सामान्य लेखा खाते में धारक के नाम से रखे जाने वाले 'स्टॉक' के रूप में जारी की जाएंगी।

6. निर्गम का मूल्य, तारीख और स्थान:

- (i) विशेष प्रतिभूतियां सममूल्य पर जारी की जाएंगी।

- (ii) विशेष प्रतिभूतियां जारी करने की तारीख 31 मार्च, 2018 होगी।
- (iii) विशेष प्रतिभूतियां, लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में जारी की जाएंगी।

7. अवधि:

विशेष प्रतिभूतियों की अवधि निर्गम की तारीख से 10 वर्ष होगी।

8. मांग और विक्रय विकल्प

- (i) विशेष प्रतिभूतियों में इस विभाग की एफ संख्या 4(13)-डब्ल्यूएंडएम/2000, तारीख 08 अक्टूबर, 2008 द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना के पैरा 7.5 में यथाविनिर्दिष्ट मांग और विक्रय का विकल्प होगा।
- (ii) भारत सरकार के पास दो वर्ष के बाद परिपक्वतापूर्व विशेष प्रतिभूतियों का पूर्ण अथवा आंशिक सम्मूल्य पर विक्रय का विकल्प देने के लिए विवेकाधीन शक्ति होगी। उस स्थिति में विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज सरकार द्वारा निर्णय लिए गए परिपक्वतापूर्व मोचन की तारीख से मोचित विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज की प्राप्ति समाप्त हो जाएगी।
- (iii) विशेष प्रतिभूतियों का धारक के पास अर्थात् राष्ट्रीय अल्प बचत निधि विशेष प्रतिभूतियों के परिपक्वतापूर्व मोचन हेतु "विक्रय विकल्प" का प्रयोग करने के लिए विवेकाधीन शक्ति होगी, परिपक्वतापूर्व मोचन की तारीख से मोचित विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज की प्राप्ति समाप्त हो जाएगी।

9. ब्याज:

- (i) विशेष प्रतिभूतियों पर 8.40% (आठ दशमलव चार शून्य प्रतिशत) प्रति वर्ष ब्याज लगेगा। ब्याज अप्रैल से सितंबर और अक्टूबर से मार्च तक अर्धवार्षिक अवधि के लिए प्रोद्भूत ब्याज क्रमशः 31 मार्च और 30 सितंबर को भुगतान योग्य होगा। विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज लोक ऋण कार्यालय (अर्थात् निर्गम कार्यालय), भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में देय होगा।
- (ii) ब्याज लगभग सौ रुपए के पूर्णांकन के बाद संदेय किया होगा।

10. चुकौती:

विशेष प्रतिभूतियों की चुकौती सम्मूल्य पर इसके ऊपर पैरा-8 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्येधीन 31 मार्च, 2028 को की जाएगी।

11. हस्तांतरणीयता और संपरिवर्तन

विशेष प्रतिभूतियां अंतरणीय नहीं होंगी और इनके किसी अन्य रूप में संपरिवर्तन की अनुमति नहीं होगी, जब तक सरकार द्वारा विशेष रूप से विनिर्दिष्ट न किया जाए।

12. सांविधिक उपबंध:

ऐसे किसी मामले के संबंध में, जिसका इस अधिसूचना में उल्लेख नहीं किया गया है, विशेष प्रतिभूतियां सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) द्वारा अधिशासित होंगी।

अरविंद श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2018

Issue of 8.40% Government of India**(National Small Savings Fund) (Non-transferable)****Special Securities, 2028**

No. 5/1/2017-NS.—The Government of India, hereby notifies the issue of **8.40 per cent** Government of India (National Small Savings Fund) (Non-transferable) Special Securities, 2028 (hereinafter called "special securities").

2. Objective:

Central Government shall issue the Special Securities notified hereunder against the amount received in the National Small Savings Fund (NSSF) on account of redemption of special Government of India and State Government securities issued against shares of net small savings collection from 1-4-1999.

3. Eligibility for subscribing to special securities:

The Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on behalf of NSSF, shall be eligible to subscribe to special securities.

4. Subscription:

Special securities will be issued for an amount of Rs. 33,661.00 crore (Rupees thirty three thousand six hundred sixty one crore only).

5. Form of securities:

The special securities will be issued in the form of 'Stock' to be held at the credit of the holder in the Subsidiary General Ledger Account maintained with Public Debt Office, Reserve Bank of India, Nagpur.

6. Price, Date and Place of Issue:

- (i) The special securities will be issued at par.
- (ii) The date of issue of special securities shall be the date of 31st day of March, 2018.
- (iii) The Special Securities will be issued at Public Debt Office, Reserve Bank of India, Nagpur.

7. Tenure:

The tenure of the special securities will be **10 years** from the date of issue.

8. Call and put option:

- (i) The Special Securities will have call and put option as specified in paragraph 7.5 of the General Notification, issued vide this Department's F.No.4(13)-W&M/2008, dated 8th October, 2008.
- (ii) The Government of India shall have the discretion to exercise "call option" to prematurely redeem the special securities wholly or partly at par, after two years. In that event, interest on the special securities shall cease to accrue on the redeemed special securities from the date premature redemption decided by the Government.
- (iii) The holder of the Special Securities, i.e. National Small Savings Fund shall have the discretion to exercise "put option", for premature redemption of the special securities shall cease to accrue on the redeemed special securities from the date of premature redemption.

9. Interest:

(i) The special securities will bear interest at the rate of **8.40** (Eight point four per cent.) per annum. Interest accrued for the half yearly periods from April to September and October to March will be payable on 31st March and 30th September respectively. Interest on the securities will be payable at the Public Debt Office (i.e. the office of Issue), Reserve Bank of India, Nagpur.

(ii) Interest will be paid after rounding off to be nearest hundred rupees.

10. Repayment:

The special securities shall be repaid at par on March 31, 2028 subject to the terms specified under paragraph 8 hereinabove.

11. Transferability and conversion:

The Special Securities shall not be transferable and conversion of the securities to any other form shall not be permitted, until and unless otherwise specified by the Government.

12. Statutory Provisions:

With respect to any such matter which has not been provided under this notification, the special securities shall be governed by the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006).

ARVIND SHRIVASTAVA, Jt. Secy.